विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित डा0 आकाश अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या–9 का उत्तर

प्रश्न संख्या	उत्तर
9 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि चैरिटेबल सोसायटी/ट्रस्ट को उत्तर प्रदेश में बिना अनुमति के कितनी भूमि क्रय करने की अनुमति है?	उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 यथासंशोधित की धारा 89 की उपधारा (2) में विहित प्राविधान के अनुसार प्रदेश में कोई भूमिधर 5.0586हे0(12.50एकड़) भूमि धृत करने की अधिकारिता रखता है।
(ख) क्या विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश में 50 एकड़ भूमि उपलब्धता होने का नियम है?	उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 3 की उपधारा (ख) के अनुसार निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 20 एकड़ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 50 एकड़ की संलग्न भूमि सम्यक रूप से धारित किये जाने का मानक निर्धारित है।
(ग) चैरिटेबल सोसायटी ट्रस्ट विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 एकड़ भूमि क्रय करती है तो उसे भूमि क्रय के किए किसी प्रकार की कोई पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है?	उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 89 की उपधारा (3) व (4) में किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी शैक्षिक या पूर्त संस्था को लोक हित तथा कृषि से इतर आर्थिक गतिविधि हेतु राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित सीमा 5.0586हे0 (12.50एकड़) से अधिक भूमि अर्जित/क्रय करने की अनुज्ञा दिये जाने का प्राविधान है– 20.2344हे0 तक भूमि अर्जित अथवा क्रय करने की अनुज्ञा कलेक्टर द्वारा, 20.2344हे0 से अधिक और 40.4688हे0 तक भूमि अर्जित अथवा क्रय करने हेतु संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा, 40.4688हे0 से अधिक भूमि अर्जित अथवा क्रय करने की अनुज्ञा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
(घ) यदि हॉ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	उपर्युक्तानुसार।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री